प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक-28जून, 2019**

विषय- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में पी0एफ0एम0एस0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को डोंगल के माध्यम से भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 822/वि0का0/मु0मं0आ0यो0-ग्रा0/2019(85), दिनांक-14 मई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन की वर्तमान व्यवस्था में होने वाले प्रक्रियात्मक विलम्ब के दृष्टिगत पी0एफ0एम0एस0 लिंक्ड स्टेट नोडल एकाउन्ट से सीधे लाभार्थी के खाते में डोंगल के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02.02.2018, में विहित वित्तीय व्यवस्था को शासनादेश संख्या-21/2018/ 937/ 38-4- 18-123 (विविध)/2017 दिनांक-06.07.2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

3- अतएव आपके उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-21/2018/ 937/ 38-4- 18-123 (विविध)/2017 दिनांक-06.07.2018 द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में विहित वित्तीय प्रबन्धन की व्यवस्था को एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

शासनादेश संख्या– 21/ 2018 /937/38-4-18-123 (विविध)/2017 दिनांक-06.07.2018 के अन्तर्गत वतर्मान व्यवस्था	शासनादेश संख्या-21/2018/937/38-4-18-123 (विविध) /2017, दिनांक-06.07.2018 के अन्तर्गत विहित व्यवस्था के स्थान पर एतद्द्वारा संशोधित व्यवस्था
<u>प्रस्तर-2(5) वित्तीय प्रबन्धन</u> **<u>उपप्रस्तर-2(5.1)</u>** योजनान्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 के निवर्तन पर रखी जायेगी। **<u>उप प्रस्तर-2(5.2)</u>** आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/ आवश्यकतानुरूप जनपदों को धनराशि आवंटित की जायेगी।	प्रस्तर-2 (5)-वित्तीय प्रबन्धनः- शासन स्तर से अवमुक्ति ⇩ आयुक्त के निवर्तन पर ⇩ राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता मुख्यालय स्तर पर खोला जायेगा। ⇩ खाते को पी0एफ0एम0एस0 से लिंक कर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा लाभार्थी के खाते में सीधे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संबंधित जनपद के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से ई-पेमेण्ट के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत चिन्हित पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि अंतरित की जायेगी।	धनराशि हस्तान्तरित किया जायेगा। विकास खण्ड स्तर पर पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण के लिए प्रथम हस्ताक्षरकर्ता लेखाकार होंगे तथा दूसरे हस्ताक्षरकर्ता खण्ड विकास अधिकारी होंगे।

4- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-17/2019/248(1)/38-4-2019, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, न्याय, उ0 प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0 प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन।
8- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
9- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
10- निदेशक पंचायतीराज, उ0 प्र0।
11- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
17- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
18- समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
19- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अशोक कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in